एमपीएस फार्मा लिमिटेड

(पूर्व में एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड)
सीआईएन नं: L74899HR1994PLC038303
कॉर्पोरेट कार्यालय: 703, अरुणाचल बिल्डिंग 19, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
फोन: 011–42424884, 43571040–45, फैक्स: 011–43571047
पंजीकृत कार्यालय और फैक्टरी: 138, रोज–का–मेओ औद्योगिक क्षेत्र, सोहना –122103 (जिला मेवात), हरियाणा
फोन: 0124–2362471 ईमेल: info@mpspharmaa.com वेबसाइट: www.mpspharmaa.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को सुबह 09.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 138, रोज–का–मेओ, औद्योगिक क्षेत्र, सोहना, जिला मेवात–122103 (हरियाणा) में एजीएम की 02 सितंबर, 2024 की सूचना में निर्धारित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को अनुमत मोड के माध्यम से सभी सदस्यों को 04 सितंबर, 2024 को भेज दिया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ–साथ इसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से रविवार, 22 सितंबर, 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 तक बंद रहेंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफॉर्म पर रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से 02 सितंबर, 2024 की एजीएम नोटिस में उल्लिखित सभी व्यावसायिक विषयों के कार्यवाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की है।

रिमोट ई–वोटिंग 25 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और 27 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद कोई रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.mpspharmaa.com और एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है। शनिवार, 21 सितंबर, 2024 तक शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल के रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं या बैलट फॉर्म के माध्यम से आम बैठक में वोट कर सकते हैं। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन बैठक में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में छपे ई–वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यदि सदस्यों के पास रिमोट ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो वे www.evoting.nsdl.com पर सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई–वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई–मेल लिख सकते हैं। शेयरधारक रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, संपर्क नंबर 011–26387281–83 या अपने संबंधित डिपॉजिटरी से अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण/अद्यतन और अन्य मामलों के लिए संपर्क कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख यानी 21 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएल/2018/24 दिनांक 08 जून, 2018 के अनुसार अपने शेयरों को डीमैटेरियलाइज्ड कर लें। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते/पैन/केवाईसी विवरण पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड ("आरटीए") के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी–पीओडी–1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसार, कंपनी ने भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजे हैं जो उनके संबंधित फोलियो में पंजीकृत नहीं हैं। इसके अलावा शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट ,स्टेचैतांउवपउ पर संबंधित फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता/पैन/केवाईसी विवरण अपडेट करें।

एमपीएस फार्मा लिमिटेड के लिए
(पूर्व में एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड)
हस्ता/-
पूजा चुनी
कंपनी सचिव

स्थान: सोहना, हरियाणा
दिनांक: 05 सितंबर, 2024

ऋण वसूली अधिकरण लखनऊ

600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ–226007

प्रपत्र सं. 5

(अधिकार क्षेत्र–उत्तर प्रदेश का भाग)
प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने तथा उपस्थिति के लिये समन्स

ओ.ए. नं. 434/2024 तिथि: 28.08.2024

(ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली–1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (3) के अंतर्गत प्रतिवादियों के लिये समन्स)

मूल आवेदन सं. 2024 का 434

यस बैंक ऑफ इंडिया –आवेदक

बनाम

मोह. इकबाल एंड अदर्स –प्रतिवादीगण

2. नईम, पुत्र मोह. सिद्धिक, निवासी 27, ग्राम कुघ्रा कहचरी, हरदोई, संडिला चौराहा–241204

ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट अथवा विधिक प्रैक्टिशन के माध्यम से दो सेट में पेपर बुक पद्धति में अपना जवाब तथा शपथ–पत्र (यदि कोई हो) दाखिल करना होगा तथा समन के प्रकाशन के बाद आवेदक अथवा उसके सलाहकार/विधिवत अधिकृत एजेन्ट को उसकी प्रति सर्व करने के बाद 09.09.2024 को 10.30 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समय उपस्थित होना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।

अनुलग्णक: उपरोक्त रूप में

रजिस्ट्रार ऋण वसूली अधिकरण,
लखनऊ

कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

CAPITAL INDIA Home Loan

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001, फोन : 91 11 4954 6015
सीआईएन : U65990DL2017PLC322041

निजी संधि के माध्यम से विक्रय की सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (5) एवं (6) के प्रावधान का संदर्भ ग्रहण करें)

निजी संधि के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के पास बंधककृत अचल संपत्ति का विक्रय।

जबकि, कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि) की धारा 13 (2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुसार ऋण खाता सं. HLNHFLNCR0012595 के अंतर्गत प्रविष्ट निम्नलिखित संपत्ति का, उसको प्रतिभूत ऋणदाताओं की बकाया राशियों + यहां नीचे वर्णित अनुसार ब्याज एवं शुल्क की वसूली करने के लिए "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "यहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचने के अधिकार के साथ, अधिग्रहण कर लिया था, तथा बकाया राशियों का प्रतिभुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये सरफॉएसि नियम 8 (6) के अंतर्गत उक्त संपत्ति की बिक्री द्वारा प्रतिभूत ऋणदाता की बकाया राशियों की वसूली का प्रस्ताव रखा है। विक्रय, निजी संधि के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जायेगा।

कर्जदारों का नाम एवं पता	(1) सुरेखा शर्मा पत्नी राजेश शर्मा, सम्पत्ति सं. 98, एस.एफ., ईस्ट लक्ष्मी मार्किट, दिल्ली–110092 (2) कृष्ण शर्मा पुत्र राजेश शर्मा, सम्पत्ति सं. 98, एस.एफ., ईस्ट लक्ष्मी मार्किट, दिल्ली–110092
बंधक संपत्ति का विवरण : फ्रीहोल्ड आवासीय निर्मित द्वितीय तल, छत के अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 50 वर्ग गज, बैक साइड, सम्पत्ति सं. 98 पर निर्मित, खसरा नंबर 36/22 का अंश, ग्राम खुरेजी खास, आबादी ईस्ट लक्ष्मी मार्किट, गली नंबर 4, निकट साई बाबा मंदिर, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110092, सभी अधिकारों के साथ (जिसमें सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं, सुख–सुविधाओं, विकास अधिकार इत्यादि (जैसा लागू हो) शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) तथा सभी फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स तथा उनके साथ संबद्ध चीजों के उपयोग और कब्जे के अधिकार सहित। जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है : पूरब : बाकी हिस्सा, पश्चिम : बाकी हिस्सा, उत्तर : गली और रास्ता, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	
मांग सूचना तिथि एवं नियत राशि	10–01–2024 एवं रु. 08,79,284/– (रुपये आठ लाख उनासी हजार दो सौ चौरासी मात्र) 09–01–2024 के अनुसार, दिनांक 31–12–2022 से प्रभावी ऋण अनुबंध के संदर्भ में भविष्य के ब्याज के साथ।
भौतिक अधिग्रहण की तिथि 05–07–2024, प्रतिभूत ऋणदाता को ज्ञातानुसार, संपत्ति पर ऋणभारों के विवरण : शून्य	
स्थानीय स्व शासन की बकाया देयराशियाँ (संपत्ति कर, जल, जलमल, विद्युत बिल्स, इत्यादि) : शून्य	
संपत्ति का आरक्षित मूल्य – रु. 10,89,000/– (रुपये दस लाख नवासी हजार मात्र)	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) – रु. 1,08,900/– (रुपये एक लाख आठ हजार नौ सौ मात्र)

नियम और शर्तें : (1) निजी संधि के माध्यम से बिक्री "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "यहां जो कुछ भी है" आधार पर होगी। (2) क्रेता को संपत्ति की खरीद के प्रस्ताव की स्वीकृति के प्रतिभूत ऋणदाता (कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड) की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री प्रतिफल का 25: जमा करना होगा और शेष राशि उसके बाद 7 (सात) दिनों के भीतर जमा करनी होगी। (3) क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10: जमा करना होगा जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा राशि के 25: के समझ समायोजित किया जाएगा। (4) उपरोक्त खंड (2) के तहत आवश्यकानुसार राशि का भुगतान करने में विफलता पर आवेदन के साथ भुगतान की गई 10: राशि सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। (5) प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10: राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। (6) संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, बाहे वह प्रतिभूत ऋणदाता को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे। (7) क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। (8) प्रतिभूत ऋणदाता बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के अधिकार सुरक्षित रखते हैं। (9) एक से अधिक प्रस्ताव के मामले में, प्रतिभूत ऋणदाता उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। यदि उच्च बोली लगाने वाला उपरोक्त खंड (2) के अनुसार शेष राशि जमा करने में विफल रहता है, तो प्रतिभूत ऋणदाता दूसरे उच्च प्रस्ताव का अनुरोध और स्वीकार कर सकता है। (10) इच्छुक पार्टियां अधिक विवरण / स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। (11) क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क का भुगतान वहन करना होगा। (12) बिक्री सरफॉएसि अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत विरचित नियमों के अनुसार होगी।

प्राधिकृत अधिकारी
कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

दिनांक : 05–09–2024, स्थान : दिल्ली

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जनपद केंद्र, नई दिल्ली – 110025 सीआईएन : यू65900डीएल2020पीएलसी366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) तथा 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसका प्रधान कार्यालय: 6ठवें तल, टावर–3, इंडिया ग्लाइकोल्स बिल्डिंग, प्लॉट नं. 2बी, सेक्टर 126, नोएडा –201304 में स्थित है, से ऋण सुविधायें प्राप्त की हैं, वे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उनकी ऋण सुविधाओं का ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं, और इसके परिणामस्वरूप उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई है, जिसका विवरण यहाँ इसमें नीचे वर्णित है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उधारकर्ताओं द्वारा देय ऋण तथा बकाया राशियों का विवरण और राशि, तिथि के अनुसार, नीचे उल्लिखित किया गया है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं के साथ–साथ जनसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं के विरुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के समक्ष दर्शाई गई बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्तियों का अधिग्रहण करने और उन्हें बेचने की शक्ति सम्मिलित है। जनसामान्य को सलाह दी जाती है कि वे यहाँ इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करें।

उधारकर्ताओं / गारंटर तथा बंधककर्ता का नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) के विवरण
1. श्री अमित कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार (उधारकर्ता) निवासी प्लॉट नंबर 16 और 17, वृद्ध आश्रम के पास, गांव नूर नगर, दिल्ली रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 2. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार (सह–उधारकर्ता) निवासी प्लॉट नंबर 16 और 17, वृद्ध आश्रम के पास, गांव नूर नगर, दिल्ली रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 3. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री अनिल कुमार (गारंटर/बंधककर्ता) निवासी प्लॉट नंबर 16 और 17, वृद्ध आश्रम के पास, गांव नूर नगर, दिल्ली रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 4. श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री राजेंद्र कुमार (गारंटर) निवासी 1257/1, माधव पुरम दिल्ली रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश 250002, 5. श्री रोहित जैन पुत्र सतीश कुमार (गारंटर) निवासी मकान संख्या 643, पसवाड़ा हाउस के सामने, बागपत रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश 250002	1. दृष्टिबंधन : स्टॉक तथा बही ऋण 2. संपत्ति पर समतामूलक बंधक : आवासीय संपत्ति, जो श्री राम कॉलोनी, गांव नूर नगर, दिल्ली रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश में प्लॉट संख्या 16 और 17 के भाग में स्थित, मापन 92.04 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 69 एमआई. के भाग पर स्थित है, जो बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7583, पृष्ठ संख्या 121–144 क्रमांक 3489 दिनांक 16–03–2012 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत, श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री अनिल कुमार के नाम पर तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : 15 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण : कमला शर्मा का प्लॉट, पश्चिम : कंवर सेन गुप्ता का प्लॉट, पूर्व : कंवर सेन गुप्ता का प्लॉट।
एनपीए तिथि : 01–12–2022	**ऋण खाता संख्या, माँग सूचना तिथि और राशि** ऋण खाता संख्या : 100841004598, 100846511094, माँग सूचना तिथि : 21–08–2024, बकाया राशि : रु. 1,21,000/– (रुपये एक लाख इक्कीस हजार मात्र) 20–08–2024 के अनुसार
1. श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरदत्त शर्मा (उधारकर्ता) निवासी मकान नं. सी 60, नेहरू नगर तृतीय तल, एफ ब्लॉक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001, 2. श्री हरदत्त शर्मा पुत्र श्री प्यारेलाल शर्मा (सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता) निवासी मकान नं. सी 60, नेहरू नगर, तृतीय तल, एफ ब्लॉक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001, 3. श्रीमती तनु शर्मा पत्नी श्री पंकज शर्मा (गारंटर) निवासी मकान नं. सी 60, नेहरू नगर तृतीय तल, एफ ब्लॉक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001, 4. श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री प्यारेलाल शर्मा (गारंटर) निवासी मकान नं. 186, न्यू पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001	संपत्ति पर समतामूलक बंधक : आवासीय भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 147.11 वर्ग गज अर्थात् 122.99 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट नंबर 3 पर, खसरा नंबर 9जीएच का हिस्सा, गांव छपरौला तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित, राजस्व अभिलेखों में बही नंबर 1, जिल्द नंबर–7090, पेज नंबर 247–272 सीरियल नंबर 13982 पर दिनांक 17–07–2014 को पंजीकृत, श्री हरदत्त शर्मा के नाम पर तथा इस प्रकार परिसीमित है : उत्तर : अन्य प्लॉट, दक्षिण : अन्य प्लॉट, पश्चिम : अन्य प्लॉट, पूर्व : 20 फुट चौड़ी सड़क। **ऋण खाता संख्या, माँग सूचना तिथि और राशि** ऋण खाता संख्या : 101541007336, माँग सूचना तिथि : 21–08–2024, बकाया राशि : रु. 3,65,000/– (रुपये तीन लाख पैंसठ हजार मात्र) 20–08–2024 के अनुसार।
एनपीए तिथि : 19–08–2024	

दिनाँक : 21–08–2024, स्थान : नोएडा/मेरठ — **प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

PLAZA CABLES

प्लाजा वायर्स लिमिटेड

सीआईएन: U31300DL2006PLC152344
पंजीकृत कार्यालय: ए–74, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली – 110 020
टेली: 011– 6636 9696; वेबसाइट: www.plazawires.in; ई–मेल: compliance@plazawires.in

प्लाजा वायर्स लिमिटेड की 18वीं वार्षिक आम बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजन

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि **प्लाजा वायर्स लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों की अठारहवीं (18वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम)** एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2022, 10/2022 और 09/2023 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 और 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और सेबी परिपत्र क्रमांकित SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 दिनांक 13 मई 2022, SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023 और परिपत्र क्रमांक SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट मदों पर विचार–विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से **ए–74 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण –2, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली – 110 020 में सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे** आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त एनसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की प्रति उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/उपलब्ध हैं। डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को अपने संबंधित डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत करें। कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टेलीफोन: 040–67162222; ईमेल: einward.ris@kfintech.com; वेबसाइट: https://evoting.kfintech.com/ को प्रस्तुत करें।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट: www.plazawires.in/investor, स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की ई–वोटिंग वेबसाइट: https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों को एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग/वोटिंग के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। शेयरधारकों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म https://www.evoting.nsdl.com/ के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। डीमैटेरियलाइज्ड मोड, कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग का तरीका शेयरधारकों को नोटिस में दिया जाएगा। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे विवरणों के लिए www.plazawires.in पर जाएं।

ई–वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 29 सितम्बर 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए बहियाँ 24 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

18वीं एजीएम की सूचना लागू कानूनों के अनुसार शेयरधारकों को उनके ईमेल पते पर शीघ्र ही भेजी जाएगी।

कृते प्लाजा वायर्स लिमिटेड
हस्ता/-
(भाविका कपिल)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. अ62612

दिनांक: सितंबर 03, 2024
स्थान : नई दिल्ली

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.

EXCELLENT WIRES & PACKAGING LIMITED

Please scan this QR Code to view the Prospectus

EXCELLENT WIRES AND PACKAGING LIMITED

Corporate Identification Number: U28990MH2021PLC357089

Our Company was incorporated as Excellent Wires and Packaging Private Limited on March 16, 2021 under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai bearing Registration number 357089. The status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to Excellent Wires and Packaging Limited vide Special Resolution dated March 27, 2024 pursuant to conversion of the Company into public limited Company. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on May 30, 2024 by the Registrar of Companies, Mumbai. The Corporate Identification Number of our Company is U28990MH2021PLC357089. For further details of our Company, see ***"General Information"*** and ***"History and Certain Other Corporate Matters"*** on pages 43 and 106, respectively.

Registered Office: Gala No. 1, Jyoti Industrial Estate, Vevoor Village, Ganesh Nagar, Palghar - E, Thane, Palghar - 401404, Maharashtra, India;
Corporate Office: Unit No. 12,13,113 Bldg 2 S. No. 54, Jay Chamundeshwari Industrial Complex, Naikpada, Vasai, Palghar, Maharashtra, 401208; **Tel No.:** +91 98202 85767 / 8;
Email: info@excellentwiresandpackaging.com; **Website:** www.excellentwiresandpackaging.com; **Contact Person:** Meghna Mahendra Savla, Company Secretary and Compliance Officer.

OUR PROMOTERS: BHAVYA VASANT SHAH, RACHIT PARESH MASALIA AND DARSHIL HASMUKH SHAH

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the Equity Shares are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock of India Limited. ("NSE").

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 14,00,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF EXCELLENT WIRES AND PACKAGING LIMITED ("EWPL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 90.00 PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 1,260.00 LAKHS ("THE OFFER"). OF THE OFFER, 72,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 64.80 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 13,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN OFFER PRICE OF ₹ 90.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,195.20 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 31.32% AND 29.71%, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE OFFER" ON PAGE 189 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS Rs. 10/-
AND FIXED PRICE ISSUE AT Rs. 90.00/- PER EQUITY SHAREIS 9.00 TIMES OF THE FACE VALUE.
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 1,600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED. IN TERMS OF RULE 19(2)(b) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED, THIS IS AN OFFER FOR AT LEAST 25% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS OFFER IS A FIXED PRICE OFFER AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, AS AMENDED. FOR FURTHER DETAILS, SEE "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE No. 198 OF THE PROSPECTUS.

RISK TO INVESTORS:

1. Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may